कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (राजस्थान)

क्रमांक : 3207 – 3219 दिनांक : 27/06/2024

-: कार्यालय आदेश :-

मैं दुड़ाराम खोकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटा, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 2295-2333 दिनांक 01.06.2024 में प्रशासनिक कारणों से आंशिक परिवर्तन करते हुए **दिनांक 30.06.2024** के राजपत्रित अवकाश के दिन कोटा शहर तथा कोटा ग्रामीण की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात् में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक कार्य की सुनवाई के लिये रिमाण्ड इयुटी हेतु **श्री अमित दवे,** अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-7 कोटा के स्थान पर **श्रीमती नेहा मौर्य** सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर), कोटा को अधिकृत करता हूं :-

नोटः-

1. सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से दोपहर 1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम. तक एवं प्रातःकालीन न्यायालय समय में 9.00 ए.एम. से 11.00 ए.एम. तक न्यायालय परिसर, कोटा में अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
2. उक्त रिमाण्ड डयूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से कोटा पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के कोटा प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पीआई/2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल इयुटी भी उक्त अधिकारीगण करेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

क्रमांकः 3207 – 3219 दिनांकः 27/06/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा
2. संबंधित अधिकारी श्री/श्रीमती ....
3. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1, कोटा (लिंक अधिकारी)
4. पुलिस अधीक्षक कोटा शहर/कोटा ग्रामीण वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
5. सहायक निदेशक, अभियोजन कोटा को इस लेख के साथ कि संबंधित दिनांक को न्यायालय में अभियोजन अधिकारी को उपस्थित रहने हेतु निर्देश जारी करें।
6. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर, कोटा
7. जूनियर लिपिक/सहायक नाजिर जिला न्यायालय, कोटा
8. नॉडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कम्प्यूटर कमेटी, कोटा
9. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय कोटा
10. आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)